



Neutral Citation No. - 2026:AHC:37571-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 3293/2026

रवि पांडे

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : संजय कुमार श्रीवास्तव, विवेक कुमार सिंह

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनी गईं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. इस रिट याचिका में दिनांक 10.12.2025 की एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके आधार पर केस क्राइम नंबर 243/2025, आईपीसी की धारा 376, 380, 506 के तहत, पुलिस थाना- पन्नूगंज, जिला- सोनभद्र में दर्ज किया गया है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि याचिकाकर्ता पूरी तरह से निर्दोष है और उसे किसी गलत इरादे के चलते इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह दलील दी है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के आधार पर, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी ऐसा अपराध बनता हुआ दिखाई नहीं देता, जिसकी शिकायत की गई है।
5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने इस प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है और रिकॉर्ड पर केस डायरी प्रस्तुत की है, जिसमें पीड़िता का बयान बीएनएसएस की धारा 183 के तहत दर्ज है। इस बयान में पीड़िता ने स्पष्ट रूप से कहा है कि याचिकाकर्ता ने उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार का अपराध किया है। उसने पीड़िता की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भी खींची थीं और उसके घर से कुछ गहने भी चुरा लिए थे; जब पीड़िता ने उससे वे गहने वापस मांगे, तो उसने पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीरों को इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप पर वायरल कर दिया।
6. विद्वान ए.जी.ए. ने आगे यह दलील दी है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के आधार पर, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ शिकायत किया गया अपराध स्पष्ट रूप से बनता हुआ दिखाई देता है। अतः, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्लाह जेलानी' (2017) 2 एससीसी 779 और 'नेहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, जो (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 315 में रिपोर्ट किया गया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाल के एक निर्णय में, आपराधिक अपील संख्या 843/2024, प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी और अन्य' के मामलों में निर्धारित कानून को देखते हुए, प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है।
7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत विरोधी तर्कों पर विचार करने के बाद, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि धारा 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज पीड़िता के बयान में, उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि याचिकाकर्ता ने उसे जान से मारने का डर दिखाकर उसके साथ बलात्कार का

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अपराध किया है, और यहाँ तक कि उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें भी खींची हैं, तथा उसके घर से कुछ आभूषण भी हटा दिए हैं; और जब उन आभूषणों को वापस करने के लिए कहा गया, तो उसने पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीरों को इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप पर वायरल कर दिया।

8. अतः, विवादित एफ.आई.आर. में लगाए गए उपरोक्त आरोपों को, और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. द्वारा उद्धृत प्रासंगिक कानून को, तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विवादित एफ.आई.आर. प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक संज्ञेय अपराध प्रकट करती है और विद्वान ए.जी.ए. द्वारा प्रस्तुत तर्कों को नोट करते हुए, हमारी यह राय है कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट को रद्द नहीं किया जा सकता है।
9. इसलिए, विवादित एफआईआर को रद्द करने की प्रार्थना अस्वीकार की जाती है।
10. इस रिट याचिका में कोई दम नहीं है और तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता) (न्यायमूर्ति अचल सचदेव)

19 फरवरी, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”